

मु० न०:- 125/2024 तारीखरजु:- 10/10/24

उनवान:- उम्मेद सिंह बनाम अशोक वगै०
दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

10/10/24

वादी की ओर से श्री दिलावरसिंह बैसला एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 12.11.2024 को पेश हो।

6548-51
10/10/24

Pi
(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

12-11-24

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 10/11/24 को पेश हो।

10/12/24

वादी वकील/वकील उमर पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... को पेश हो।
पत्रावली मतानुसार दिनांक 22/11/25 को पेश हो।

22-1-25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित वकील उमर पक्ष को पेश हो।

22-2-25

वादी वकील/वकील उमर पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... को पेश हो।
पत्रावली मतानुसार दिनांक 24/2/25 को पेश हो।

4-4-25

पत्रावली पेश हुई। वादी अब वादी वकील को उपस्थित नहीं कर रहा है। वार का आवाज दिया है। इसके बावजूद भी कोर्ट उपस्थित



दिनांक

फर्द अहकाम

नदी दुआ इत्यादि वाडी का कृषक शिवा स्वामी
 जेणेकरावा वाडी उप वाडी वरील श्री काडम
 इत्यादि काडम येवपी जे स्वामी शिवाजी
 हे/ पत्तापती कैशलकुमार शिवाजी नरकरसे
 काम कर शाखील उपरलडे

काम कर
 पदोती

उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (करौली)